



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092023-248916
CG-DL-E-23092023-248916

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 657]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 2023/भाद्र 31, 1945

No. 657]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2023/BHADRA 31, 1945

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2023

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/207/2014/डीडी/223/2014/डीसी/1137/2019.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार, अनुशासन समिति ने सीए. तंदाराय रमन सारथी (सदस्यता संख्या 025982), प्लॉट संख्या 39-1/3, पहली मंजिल, नॉर्थ परेड रोड, चेन्नई (तमिलनाडु) 600016, को पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग I के खंड (2) और (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और उसके परिणामस्वरूप अनुशासन समिति ने पूर्वोक्त नियमों के नियम 19(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, सीए. तंदाराय रमन सारथी (सदस्यता संख्या 025982) के नाम को 02 (दो) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. तंदाराय रमन सारथी (सदस्यता संख्या 025982) का नाम 22 सितंबर, 2023 से 02 (दो) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./439/2023-24]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**(Set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd September, 2023

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/207/2014/DD/223/2014/DC/1137/2019.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rule 18(17) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Tandarai Raman Sarathy (Membership No. 025982), Plot No. 39-1/3, 1st Floor, North Parade Road, CHENNAI(Tamilnadu) 600016**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses (2) and (7) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 19(1) of the aforesaid Rules, ordered for removal of the name of **CA. Tandarai Raman Sarathy (Membership No. 025982)** from the Register of Members for a period of 2(Two) months. In pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, that the name of said **CA. Tandarai Raman Sarathy (Membership No. 025982)**, shall stand removed for a period of 02(Two) months with effect from 22nd September, 2023.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./439/2023-24]